अध्याय-1

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और विचारार्थ विषय

1980 में कांग्रेस (इ) पार्टी प्रदेश में सत्ता में आई और मध्यप्रदेश के समतामय समाज के पक्षधर एवं संवेदनशील माननीय श्री अर्जुनसिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। इस समय 19 अगस्त, 1980 को केन्द्र सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) ने मध्यप्रदेश के पिछड़े वर्ग की दशा का अध्ययन करने के लिए दौरा किया। 19 अगस्त, 1980 को मध्यप्रदेश सचिवालय (वल्लभ भवन) में श्री वी.पी. मण्डल, अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग केन्द्रीय शासन ने मंत्रि परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा की। उन्होंने मुख्य मंत्री का प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अतिरिक्त शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री मण्डल ने कहा कि मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग की दशा अत्यन्त दयनीय है। देश की अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने- अपने प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा कल्याण का कार्य काफी पहले प्रारंभ कर दिया है, किन्तु मध्यप्रदेश में अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। इस बैठक में मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि मध्यप्रदेश में भी पिछड़े वर्ग की दशा सुधारने हेतु तत्काल कदम उठाये जायेंगे।

अतः मुख्य मंत्री महोदय ने 1980 के विधान सभा के वर्षाकालीन सत्र में प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के उपाय सुझाने हेतु एक समिति श्री रामजी महाजन, विधायक, की अध्यक्षता में गठित करने की घोषणा की। इस घोषणा के तत्पश्चात मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने 5 सितम्बर 1980 को पिछड़े वर्ग के उत्थान के कार्य के महत्व को देखते हुए समिति के स्थान पर आयोग के गठन का आदेश दिया। इस आयोग के अध्यक्ष को शासन द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। आयोग की संरचना निम्नलिखित है :-

1. श्री रामजी महाजन, विधायक	अध्यक्ष
2. श्री बैजनाथ चन्द्राकर, विधायक	सदस्य
3. श्री टेटकूराम साहू, विधायक	सदस्य

4. श्री लालजी पटेल, भूतपूर्व विधायक	सदस्य
5. श्री नन्हे लाल पटेल, भूतपूर्व विधायक	सदस्य
6. श्री कामता प्रसाद कुशवाहा, एडवोकेट	सदस्य
7. श्री टीकाराम यादव, एडवोकेट	सदस्य
8. श्री सरनाम सिंह घुरैया, एडवोकेट	सदस्य
9. श्री जगन्नाथ सिंह यादव, एडवोकेट	सदस्य
10. श्री पुसऊ लाल रहांगडाले	सदस्य

शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ/8-3/80/2/25 दिनांक 17.11.80 जिसके द्वारा क्रमांक 1 से 7 तक आयोग के सदस्य मनोनीत किये गये तथा उक्त सदस्यों के अतिरिक्त अधिसूचना क्रमांक एफ/8-3/80/2/25 दिनांक 29.11.80 द्वारा श्री सरनाम सिंह घुरैया, एडवोकेट ग्वालियर तथा क्रमांक एफ/8-3/80/2/25 दिनांक 21-1-82 द्वारा श्री जगन्नाथ सिंह, यादव, एडवोकेट सतना को तथा क्रमांक एफ 8-3/80/2/25 दिनांक 17.5.83 द्वारा श्री पुसऊ लाल रहांगडाले को आयोग के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया।

आयोग के गठन की अधिसूचना में आयोग के निर्देश निबंधन निम्न प्रकार से निर्धारित हुए :-

1. मध्यप्रदेश राज्य के वास्तविक निवासियों में सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टियों से पिछड़े हुए वर्ग या समूह कौन-कौन से हैं और इन पिछड़े वर्गों का बाहुल्य राज्य के किन राजस्व जिलों में हैं?

2. इन पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने की औचित्य एवं आवश्यकता।

3. इन पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से प्रगति करने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाये जा सकते हैं?

4. क्या राज्याधीन नौकरियों या पदों पर पिछड़े वर्गों में से अर्हता प्राप्त सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में समुचित प्रबंध किये गये हैं और क्या ऐसे सदस्यों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व आश्वस्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत नियमों में प्रावधान करना आवश्यक है "जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में व्यवस्था है।

5. क्या इस राज्य में इन पिछड़े वर्गों का सामाजिक शोषण हो रहा है? यदि हां तो निवारण हेतु ठोस

उपाय।

6. क्या इन पिछड़े वर्गों में से किसी समूह या जाति के समूह के साथ छुआछूत का बर्ताव किया जा रहा है और यदि हाँ तो निवारण हेतु सुझाव।

7. क्या पिछड़े वर्गों के सदस्यों के शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश आश्वस्त करने के लिए समुचित एवं विशेष उपबंध राज्य शासन द्वारा किये गये हैं? यदि नहीं तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस उपाय।

8. राज्य के पिछड़े वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की गति बढ़ाने की दृष्टि से क्या इन वर्गों के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता सेवा वांछनीय है? यदि हाँ तो उसका स्वरूप।

निर्देश निबंधन को पढ़कर आयोग के माननीय सदस्य श्री कामता प्रसाद कुशवाहा ने अपने पत्र दिनांक 17.12.80 द्वारा निबंधन के क्रमांक- 4 के अन्त में निम्न वाक्य जोड़ने हेतु शासन को लिखा

"जैसा कि संविधान के अनुच्छेद -16 (4) में व्यवस्था" है।

इस पत्र के उत्तर में शासन द्वारा आयोग के माननीय सदस्य श्री कामता प्रसाद कुशवाहा के उक्त पत्र की प्रति अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग को शासन के पत्र क्रमांक एफ 8-3/80/2/25 दिनांक 23-1-81 द्वारा भेजी गई तथा कहा कि आयोग संविधान की मंशा के अनुरूप सुझाव देगा। इसमें उक्त प्रावधान पर भी अवश्य विचार किया जाना चाहिए।